

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.मिसल संख्यातारीख दायरातारीख निर्णय

मैनुअल नं.134 / प्रा.पत्र / 2019

17.12.2019

28.05.2024

(GCMS No. 2019 / 00277)

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

- प्रार्थी

बनामरामलाल आ. हरजी जाति मीना,
निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील एवं जिला बून्दी

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।

अप्रार्थी की ओर से श्री शंभूदयाल शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 2259/1423 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम गुढानाथावतान आवंटन आदेश दिनांक 25.08.1983 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 134/2019 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2019/00277 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 31.08.2021 को जवाब पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने एवं आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।



जिला कलेक्टर, बून्दी

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार
पेशा कार्यावाही मिथद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने
प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल कार्यावाही की सुनवाई
के दौरान किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर
प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या
1423 / 2 (नये नम्बर 2259 / 1423) रकबा 4 बीघा 15 बिसवा भूमि का दिनांक
रामलाल आ10 हरजी जाति मीना निवासी ग्राम गुलानाथावातान में गैर खातेदार दर्ज
25.08.1983 को आवंटन किया गया था। आवंटी वर्तमान में गैर खातेदार दर्ज
रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा
काशत नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा चला आ रहा है। आवंटी द्वारा
आवंटन किशत जमा नहीं करवाई जा रही है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन
शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी
के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज
रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए
व्यक्त किया कि अप्रार्थी के आवंटन को 38 वर्ष हो चुके है, इतनी लम्बी अवधि
के बाद अब आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। आवंटी 10 वर्ष बाद
स्वतः ही खातेदार बन चुका है, खातेदारी अधिकार प्रदान करने एवं राजस्व
रिकार्ड में दर्ज करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का होता
है। अप्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है जिसको आवंटन सलाहकार
समिति द्वारा दिनांक 25.08.1983 को भूमि आवंटन किया जाकर आवंटी को
दखलानामा दिया गया था। आवंटी द्वारा दिनांक 06.09.83 को पट्टा फीस व
किस्म जमा करवा दी गई थी, आवंटी की तरफ कोई राशि बकाया नहीं है।
अप्रार्थी को भूमि आवंटन आदेश पूरे कौरम से जारी किया हुआ, इस प्रकार
चरण सं.1 मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी भूमिहीन नहीं होने का तथ्य
है। प्रार्थना पत्र के चरण सं.2 में अप्रार्थी के भूमिहीन नहीं होने का तथ्य
अस्वीकार है। अप्रार्थी सदभावी कृषक है एवं काशत पर भी निर्भर है, जिससे
प्रार्थना पत्र के चरण सं.3 में सदभावी कृषक नहीं होने का तथ्य मिथ्या है।
अप्रार्थी द्वारा आवंटन पत्र में कोई भी गलत शपथ पत्र या सूचना प्रस्तुत नहीं
की गई है। किसी प्रकार का धोखा अथवा तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाये जाने का
किया गया है, जिससे धोखे से व तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाये जाने का
आरोप भी मिथ्या है। चरण सं.4 की उपचरण सं.1 में प्रार्थी ने आवंटी का भूमि
पर कब्जा काशत नहीं होने का प्रार्थना पत्र में कथन किया है जो अस्वीकार
है। भूमि पर काबिज आवंटी ही काशत करता है और अप्रार्थी वृद्ध होने से स्वयं



जिला कलेक्टर, बन्सी

एवं आधोली पर भी कार्र करवाता है। भूमि पर कब्जा अप्रार्थी का ही है, उक्त भूमि पर यदि आवंटी का कब्जा नहीं है तो किसका कब्जा है, यह अंकन नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवंटन की किस्म जमा नहीं कराने का अंकन कर आवंटन निरस्तगी का अनुतोष चाहा है जो अस्वीकार है। आवंटन की शरि जमा करवाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा अप्रार्थी को कोई मांग पत्र जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त आवंटन वैध है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2016-17 आरआरटी पेज 304, 2014-15 आरआरटी पेज 731, आरआरडी 2018 पेज 479, आरआरटी 2008(1) पेज 610, 2020 डीएनजे पेज 460 एवं 2018(2) डीएनजे पेज 7741 की नजीरें पेश करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने एवं अप्रार्थी का आवंटन यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार बून्दी द्वारा पेश कार्यवाही नियाद बाहर प्रस्तुत होने का खारिज किये जाने के संदर्भ में विचार किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियाद बाहर होने नियम 14(4) की कार्यवाही पर लिमिटेशन लागू जबकि पेशकार सरकार द्वारा नियम 14(4) की कार्यवाही पर लिमिटेशन लागू नहीं होने बाबत बताया गया। उक्त कार्यवाही पर लिमिटेशन प्रभावी नहीं होने से अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत लिमिटेशन अस्वीकार किया जाता है। आवंटी रामलाल आ० हरजी जाति भीना निवासी ग्राम गुडानाथावलतान को दिनांक 25.08.1983 को किया गया भूमि खसरा सं. 1423/2 रकबा 4 बीघा 15 बिरवा बाकोग्राम गुडानाथावलतान का आवंटन आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण तैयार कर भिजवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072-2075 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी रामलाल आ० हरजी जाति भीना गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4 में "(1) आवंटी का कब्जा कार्र नहीं की है। (3) आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है।" अंकित किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 2259/1423 रकबा 4 बीघा 15 बिरवा पर आवंटी का कब्जा कार्र नहीं है और ना ही आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा जय अभिभाषक दिनांक 31.08.2021 को इस न्यायालय में जवाब पेश किया गया, जिसमें अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा कार्र होना बताया है किन्तु इस जवाब के साथ अप्रार्थी द्वारा



जिला कलेक्टर, बुन्दी

28/5/24

तो स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया और न ही ऐसे दस्तावेज पेश किये गये जिससे उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी अप्रार्थी को निरन्तर कब्जा काशत होना साबित हो सके। आवंटन नियम के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। जहां तक अप्रार्थी द्वारा एक वर्ष की शर्तों का उल्लंघन होना गिरदावरी पेश किये जाने का प्रश्न है तो संवत् 2077 की नकल खसरा गिरदावरी पेश किये जाने का प्रश्न है तो इससे न तो वक्त आवंटन से लेकर अब तक आवंटी द्वारा निरन्तर काशत किया जाना प्रमाणित है और न ही इससे आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित होता है। जैसा कि आर.बी.जे. 2014 पेज 626 में माना है कि नकल खसरा गिरदावरी से भूमि पर तत्समय काशत होना प्रकट करता है किन्तु इससे कब्जा प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामलाल आठ हरजी जाति मीना निवासी ग्राम गुडानाथावतान को किया गया आवंटन भूमि खसरा संख्या 1423/2 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम गुडानाथावतान दिनांक 25.08.1983 एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायक दर्ज करे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

